—:: न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.) ::—

(समक्ष :— संजीव श्रीवास्तव)

FILING NO. - CRA/ 4042 /2023
CNR NO.- MP32010048262023
CASE NO. - CRA / 121 /2023
FILING DATE - 03-08-2023

पवन शर्मा (पुजारी) पुत्र स्व0 श्री नाथूराम पुजारी, आयु करीब 46 वर्ष, निवासी बीकर थाना दुरसड़ा, जिला दतिया म0प्र0 **..अपीलार्थी / अभियुक्त**

/ / विरूद्ध / /

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा जिला दण्डाधिकारी दतिया म0प्र0 **.....प्रत्यर्थी / राज्य**

न्यायालय—न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी दतिया, जिला दतिया (श्री राजीव पटेल) के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1300460 / 2016 ''म.प्र. राज्य विरुद्ध पवन कुमार '' (पुलिस थाना उनाव,जिला दतिया के अपराध क्रमांक 91 / 2016 अंतर्गत धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम) में घोषित निर्णय दिनांक 6.07.2023 से उद्भूत आपराधिक अपील।

/ / निर्णय / /

(दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को घोषित)

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत अपीलार्थी / अभियुक्त पवन शर्मा ने यह नियमित आपराधिक अपील तत्कालीन न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी दतिया (श्री राजीव पटेल) द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1300460 / 2016 में घोषित निर्णय दिनांक 06.07.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी / अभियुक्त को धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए, उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 / —रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 15 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया है।

2. सुविधा की दृष्टि से आगे की कण्डिकाओं में अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में और प्रत्यर्थी को अभियोजन के रूप में संबोधित किया जावेगा।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष कथन संक्षिप्ततः इस प्रकार है, कि दिनांक 25.5.2015 को आरक्षी केन्द्र उनाव पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ राजेश सातनकर को, हमराह ए.एस.आई. जे.एस. जादौन, आरक्षक दीपेश एवं भगवती के साथ शासकीय वाहन से गस्त के दौरान कामद नहर की पुलिया पर वाहन की चैकिंग के दौरान अभियुक्त आपे में अपनी कमर में कट्टा खुरसे मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पेन्ट की दाहिनी जेब में दो कारतूस मिले। अभियुक्त से उक्त

आयुध के लायसेंस के बारे में पूछने पर उसके द्वारा लायसेंस न होना व्यक्त किया। अपीलार्थी/अभियुक्त का उक्त कृत्य आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से, उप निरीक्षक राजेश सातनकर द्वारा, साक्षीगण के समक्ष कट्टा व कारतूस जप्त कर, जप्ती पंचनामा बनाया एवं अपीलार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर मौके पर कार्यवाही की जाकर, वापिस आकर अपराध क्रमांक 91/2016 दर्ज कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम के आवश्यक दोषारोपण किये जाने पर, अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित कर व तर्क श्रवण कर दिनांक 06.07.2023 को निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त को पैरा–1 में उल्लेख अनुसार दोष सिद्ध पाकर दण्डादिष्ट किया।

5. अभियुक्त ने अपील में सारतः यह आधार उठाया है, कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य की उचित विवेचना न करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराकर दण्डादिष्ट किया है। अभियुक्त से अभिकथित आयुध के जप्ती का साक्षी राकेश पाण्डे (अ.सा.03) घटनास्थल वाले क्षेत्र का निवासी न होकर ग्राम सिमरिया का निवासी है और उसकी अभियुक्त पवन शर्मा से पूर्व से ही रंजिश विद्यमान है, इस बात को उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर थाने पर 4–5 खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। अन्य साक्षी दीपेश कुमार (अ.सा.04) पुलिस कर्मी होकर अभियोजन से हितबद्ध साक्षी है, मौके पर कथित जप्त शुदा कट्टा व कारतूस को सील बंद नहीं किया गया है। घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी अभियोजन की ओर से कथित जप्ती के संबंध में स्वतंत्र व्यक्तियों साक्षी नहीं बनाया है। अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) की साक्ष्य, स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न होने से, अभियुक्त से कथित आयुध बरामद होना प्रमाणित नही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर न करते हुए, अभिलेख पर आयी साक्ष्य की उचित विवेचना न करके अभियुक्त को दोषी ठहराकर त्रुटि की है।

6. राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अभिलिखित दोष सिद्धि के निष्कर्ष एंव दण्डादेश को अभिलेख पर आयी साक्ष्य की उचित एंव सम्यक् विवेचना पर आधारित होना प्रकट करते हुए और अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित होना प्रकट करते हुए, अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये। अपील ज्ञापन, आक्षेपित निर्णय सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. **<u>हस्तगत अपील के निराकरण हेतु अवधार्य प्रश्न यह हैं कि :–</u>**

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख

पर आई साक्ष्य की उचित एवं सम्यक् विवेचना पर आधारित न होकर त्रुटिपूर्ण है?

2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया है?

// निराकरण सनिष्कर्ष //

9. आरक्षी केन्द्र उनाव के तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) की साक्ष्य के अनुसार दिनांक 25.05.2016 को हमराह ए.एस.आई. जे.एस. जादौन, आरक्षक दीपेश एवं भगवती के साथ शासकीय वाहन से गस्त के दौरान कामद नहर की पुलिया पर वाहन की चैकिंग के दौरान अभियुक्त आपे में अपनी कमर में कट्टा खुरसे मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पेन्ट की दाहिनी जेब में दो कारतूस मिले। अभियुक्त से उक्त आयुध के लायसेंस के बारे में पूछने पर उसके द्वारा लायसेंस न होना व्यक्त किया। मौके पर ही गवाह राकेश एंव आरक्षक दीपेश के समक्ष अभियुक्त पवन शर्मा से 315 बोर का लोहे का देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–03 के मुताबिक जप्त किये।

10. साक्षी उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) ने उक्त गवाहों के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–04 बनाया जाना और उक्त कार्यवाही के पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–05) लेखबद्ध किया जाना और जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी–03), गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श पी–04) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–05) पर अपने हस्ताक्षर होना प्रकट करते हुए रवानगी का रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी–06) और वापिसी का रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी–07) पर अपने हस्ताक्षर पुष्ट किये है। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में विचारण के दौरान सील बंद अवस्था में प्राप्त मुद्दे माल के खोले जाने पर आर्टीकल ए–1 का कट्टा व आर्टीकल ए–2 व ए–3 के कारतूस अभियुक्त से ही बरामद होना प्रकट किया है।

11. आरक्षक दीपेश (अ.सा.04) ने, अपनी साक्ष्य में उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) की साक्ष्य का मुख्य परीक्षण के दौरान समर्थन करते हुए जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–04 पर अपने हस्ताक्षर पुष्ट किये है तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्रंमाक –04 में यह स्वीकार किया है कि कट्टे को मौके पर सील बंद नहीं किया था और थाने पर लाकर सील बंद किया गया था।

12. अभियोजन साक्षी राकेश पाण्डे (अ.सा.03) ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त की अनन्यता स्थापित करते हुए, मुख्य परीक्षण में चैकिंग के दौरान अभियुक्त से 315 बोर का कट्टा और दो कारतूस बरामद किये जाने के संबंध में उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) एवं आरक्षक दीपेश (अ.सा.04) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–03 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–04 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर पुष्ट किये है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसके भाई की मारपीट किया जाना प्रकट करते हुए, अभियुक्त पवन शर्मा से पुरानी रंजिश होना प्रकट किया है किन्तु अभियुक्त से कट्टा व कारतूस बरामद न होने से इंकार करते हुए, उसके सामने कोई लिखा–पढी न होना और थाने पर पुलिस द्वारा उसके हस्ताक्षर कराये जाना प्रकट किया है।

13. दिनांक 12.06.2016 को पुलिस लाइन दतिया में आर्म्स मोहर्रिर के पद पर पदस्थ ए.एस.आई होतम सिंह (अ.सा.01) ने थाना उनाव के अपराध क्रमांक 91/16 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में 315 बोर का कट्टा मय दो राउण्ड सील बंद अवस्था में प्राप्त होना और उक्त कट्टा व कारतूस की उसके द्वारा जांच किये जाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 के मुताबिक उक्त कट्टे को कार्यशील होना व कारतूस जिंदा होना प्रकट किया है।

14. आर्म्स क्लर्क अजय कुमार कोली (अ.सा.02) ने अपनी साक्ष्य में थाना उनाव के अपराध क्रमांक 91/16 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जप्त शुदा शस्त्र व राउण्ड सील बंद अवस्था में प्राप्त होना व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा केस डायरी का अवलोकन व जप्त शुदा शस्त्र व राउण्ड की सील को तोड़कर देखने के पश्चात अभियुक्त द्वारा उक्त कट्टा व कारतूस को अवैध रूप से रखे जाने के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श पी–02 प्रदान की । साक्षी ने अभियोजन की स्वीकृति के ए से ए भाग पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रकट करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कार्य करने से उनके हस्ताक्षर से भली–भांति परिचित होने की स्थिति प्रकट की है।

15. विधि इस बिन्दु पर स्थापित है, कि यह संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है कि अभियुक्त से प्रश्नाधीन आयुध बरामद किये गये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत जसबीरसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1660 में यह प्रतिपादित किया गया है कि

Pistol and cartridges recovered not having any distinctive mark-Not sealed after seizure-Identity of weapon and cartridges seized and that which were produced before Court thus not established by prosecution-Conviction cannot be sustained.

16. अभियोजन के मामले के अनुसार और अभिलेखगत साक्ष्य से प्रकट है, कि अभियुक्त से ग्राम कामद की नहर की पुलिया के पास आम रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान प्रश्नाधीन 315 बोर का कट्टा व दो राउण्ड बरामद किये गये है। अभिलेखगत साक्ष्य से यह भी प्रकट है, कि उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) द्वारा उक्त स्थल पर अभियुक्त से उक्त कथित आयुध की जप्ती के संबंध में दो साक्षी बनाये गये है, जिनमें से एक आरक्षक दीपेश (अ.सा.04) तथा दूसरा राकेश पाण्डे (अ.सा.03) है । साक्षी राकेश पाण्डे (अ.सा.03) की साक्ष्य से प्रकट है कि उसकी अभियुक्त से पूर्व से ही रंजिश विद्यमान है, उक्त साक्षी घटनास्थल के आस–पास का न होकर अन्य ग्राम सिमरिया का निवासी है। उक्त साक्षी के घटना के समय कैसे मौके पर मौजूद था इस बावत अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। घटनास्थल वाला क्षेत्र सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) द्वारा मौके के स्वतंत्र व्यक्तियो को साक्षी नहीं बनाया है और साक्षी न बनाये जाने का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) द्वारा बनाये गये साक्षी राकेश पाण्डे (अ.सा.03) द्वारा थाने पर पुलिस द्वारा 3–4 खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराने की बात कही है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि मौके पर

अभियुक्त से कथित कट्टा व कारतूस के जप्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी है।

17. आरक्षक दीपेश (अ.सा.04) जो कि पुलिस कर्मी होकर उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) का अधीनस्थ रहा है, ने मौके पर कट्टे को सील बंद न किया जाना मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) एवं आरक्षक दीपेश (अ.सा.04) की साक्ष्य सहित अभियुक्त से रंजिश रखने वाले साक्षी राकेश पाण्डेय (अ.सा.03) की साक्ष्य को चुनौती प्रदान की है, ऐसी स्थिति में जबकि कथित जप्ती की कार्यवाही के समय घटनास्थल के स्वभाविक साक्षीगण को उप निरीक्षक राजेश सातनकर (अ.सा.06) द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है तथा मौके पर प्रश्नगत आयुध को सील बंद नहीं किया है और जप्ती की कार्यवाही थाने पर की गयी है, तब ऐसी दशा में अभिलेखगत साक्ष्य से यह संदेह से परे विश्वसनीय नही है कि अभियुक्त से 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस बरामद किये गये है।

18. चूंकि अभियुक्त से कट्टा व कारतूस बरामद किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त कट्टा के कार्यशील होने, दोनों कारतूस के जीवित होने और उक्त आयुध के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त से प्रश्नाधीन 315 बोर का कट्टा व दो कारतूस बरामदगी बावत निष्कर्ष अभिलेख पर आयी साक्ष्य की उचित व सम्यक् विवेचना पर आधारित न होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

19. अतः अपील स्वीकार कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त पवन शर्मा (पुजारी) पुत्र स्व0 श्री नाथूराम पुजारी की धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम, के तहत अभिलिखित दोष सिद्धि के निष्कर्ष व दण्डादेश को अपास्त करते हुए, अभियुक्त को धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है।

20. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदंड की राशि 1,000/–रुपये (यदि जमा की गई हो तो) उसे वापस की जावें ।

21. अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–389 के तहत प्रस्तुत किए गए जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त की ओर से धारा–437(क) दं0प्र0सं के तहत प्रस्तुत किये गये जमानत एवं व्यक्तिगत बंधपत्र 6 माह की अवधि के लिए प्रभावशील होंगे।

22. प्रकरण में जब्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

23. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख सूचनार्थ एवं पालनार्थ वापिस भिजवाया जावे।

हस्ता0
(संजीव श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश दतिया
जिला–दतिया (म.प्र.)

दतिया
दिनांक–31.10.2023

SANJEEV SHRIVASTAVA
Digitally signed by SANJEEV SHRIVASTAVA
Date: 2023.10.31 17:38:54 +0530